प्रेस नोट 06.10.2019

थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत गोवध निवारण के क्रम में एक शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से एक मैजिक में लदी 04 राशि मवेशी बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.10.19 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पलिया से अश्वनी पुत्र रविप्रकाश निवासी शोनिसा थाना रानीपुर मऊ कब्जे से एक मैजिक (यूपी 50 टी 0440) में लदी एक राशि गाय व 03 राशि बछड़े बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 190/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत 22 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 06.10.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भौरेपुर से छोटू पुत्र महेश निवासी टुरी नातेहार(झारखण्ड) के कब्जे से 22 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 486/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 05.10.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर देईथान मन्दिर के पास से नीरज पुत्र सूर्यप्रकाश निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 294/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 09 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 06.10.19 को थाना **मुहम्मदाबाद पुलिस** द्वारा विरेन्द्र सोनकर पुत्र देवकिशन सोनकर, बाला सोनकर पुत्र लाला सोनकर निवासीगण बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर पुलिस** द्वारा रियाज अहमद, जुमराती, फैयाज, इस्तियाक पुत्रगण अब्दुल सत्तार, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद शाहिल पुत्रगण रियाज अहमद निवासीगण पलिया थाना रानीपुर, थाना **मधुबन पुलिस** द्वारा हरिकेश पाण्डेय पुत्र मुनीषानन्द पाण्डेय निवासी फरही रामपुर थाना मधुबन मऊ को शान्ति भंग की आशंका में अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी व थाना **कोतवाली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त** शाहिद अख्तर पुत्र अमीर हसन निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

MEDIA CELL MAU

महिला ऐच्छिक ब्यूरो में 16 मामलो में से चार मामले का हुआ निस्तारण–

मऊ। महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 06.10.19 को पुलिस अधीक्षक मऊ **श्री अनुराग आर्य** के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्रीमती **श्वेता आशुतोष ओझा** की पर्वेक्षण में पुलिस लाइन में हुई। इसमें कुल 16 पारिवारिक मामले आए, जिसमें ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से चार मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें एक मामले में सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। शेष मामलो में बैठक की अगली तिथि 20 अक्तूबर 2019 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से पियूष वर्मा और अमित वर्मा के मामले में पक्षकारो के बीच सुलह होने, रूचि गोड और दीपू गोड के मामले में जीयनपुर कोतवाली आजमगढ जिले में रिपोर्ट दर्ज होने के कारण तथा नुसरत जहां और सद्दाम के मामले में पक्षकारो के लगातार अनुपस्थित रहने के चलते पत्रावली निस्तारित कर दी गई। वही प्रिया गुप्ता और उमेश गुप्ता के मामले में पक्षकारो के बीच सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान छह मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही तीन मामलों में एक–एक पक्ष तथा तीन मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नही हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 20 अक्तूबर 2019 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे,अर्चना उपाध्याय, विनोद कुमार सिंह, डा. एमए खान, महिला आरक्षी इशरावती यादव ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक मऊ **श्री अनुराग आर्य** द्वारा दिनांक 05.10.19 को दुर्गा पूजा/दशहरा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद का भ्रमण किया गया तथा इस दौरान महोदय द्वारा क्रमशः थाना **मधुबन व दोहरीघाट का औचक निरीक्षण किया गया,** निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, रजिस्टर के रख– रखाव, अंकन, थाना परिसर में घूम–फिर चेक किया गया व मेस की व्यवस्था संतोषजनक न पाये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये दोनो थाना प्रभारियों को ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा सम्मन/वारंटो के समय से तामीला न कराये जाने को लेकर फटकार लगायी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गहन चर्चा के दौरान त्यौहारों के दौरान विशेष पुलिस अधिकारी व पुलिस मित्रों की ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों के साथ लगाये जाने एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य मार्गों पर खराब वाहन त्यौहार के दौरान यातायात में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं जिसको लेकर क्रेन चालकों से संपर्क उनका मोबाइल नम्बर अपने पास रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा थाना क्षेत्रों के हर छोटी–छोटी प्रतिकूल बात पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु सख्त रुप से निर्देशित किया गया। विगत त्यौहार व सांम्प्रदायिक रजिस्टर में पिछले 10 वर्षों की अंकित प्रविष्टियों का अध्ययन करते हुये असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 107/16 (3) निरोधात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ थाना मधुबन व दोहरीघाट के प्रभारियों के साथ चल रहे हमराहियों को आपात/बलवा की स्थिति को समय रहते निपटने के लिये क्या–क्या कार्यवाहियां की जानी चाहिये, इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

MEDIA CELL MAU